न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **16/2017** अपील (राजस्व)

श्री माणकलाल पिता नारू डांगी निवासी डागलियों की मगरी, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर

——**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट बनाराजगी
बप्रकरण संख्या 09/2016 निर्णय दिनांक 21.11.16
तहसीलदार बडगॉव

उपस्थित : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः—.....

अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत तहसीलदार बड़गॉव के प्रकरण संख्या 09/2016 में निर्णय दिनांक 21.11.16 से दुखी होकर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेंट द्वारा एक नोटिस मौजा भुवाणा तहसील बड़गॉव जिला उदयपुर की आराजी संख्या 2983 रकबा 500 वर्गफीट भूमि के सम्बन्ध में धारा 91 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान किया गया जो कतई गलत एवं मिथ्या आधारो पर प्रदान किया जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि विकास पंचायत की होकर उक्त भूमि ग्राम पंचायत, भुवाणा द्वारा प्रकरण संख्या 50/1998 द्वारा दिनांक 15.01.2000 को उक्त भूमि का पट्टा पूर्व हिताधिकारी श्रीमती शीला पत्नि रमेश हरकावत को प्रदान किया गया व उक्त पट्टे के आधार पर श्रीमती शीला हरकावत द्वारा उक्त भूमि का पंजीयन दिनांक 15.04.06 को अपीलान्ट

को किया जाकर उक्त भुमि का आधिपत्य अपीलान्ट को प्रदान किया गया व उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट उक्त भूखण्ड का विधिवत आधिपत्यधारी होकर दुकान का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्ट वादग्रस्त भूखण्ड का विधिक दस्तावेज से विधिवत आधिपत्य वादी का हैं। अपीलान्ट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हैं। उक्त भूमि तो पूर्व में चरागाह थी ना आज ही चारागाह हैं। परन्तु उक्त नोटिस कतई गलत आधारो पर प्रदान किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या निरस्त योग्य हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिये गये जवाब एवं दस्तावेजो का बिना अवलोकन किये मनमकसुद तरीके से आदेश पारित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलान्ट की बिना सुचना के आदेश पारित कर दिया गया इसके बावजुद भी कई मर्तबा निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय में चाराजोही की। तब जाकर पता लगा कि दिनांक 27.02.17 को अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया है जिसकी नकल प्राप्त कर तत्काल अपील प्रस्तुत की गई हैं। फिर भी अपील को अन्दर मियाद लिवाय जाने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर विद्ववान अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या निरस्त फरमाया जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर संलग्न प्रार्थना पत्र भु प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक संवत् 2034 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कि गई। अधिवक्ता अपीलान्ट का उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज को पत्रावली पर लिये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भुमि विकास पंचायत की होकर उक्त भुमि ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा प्रकरण

संख्या 50/98 द्वारा दिनांक 15.01.2000 को उक्त भुमि का पट्टा पूर्व हिताधिकारी श्रीमती शीला पत्नि रमेश हरकावत को दिया गया। उक्त पट्टे के आधार पर श्रीमती शीला हरकावत द्वारा उक्त भुमि का पंजीयन दिनांक 15.04.06 को अपीलान्ट को किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया। उस दिनांक से वादग्रस्त भुमि पर आधिपत्य अपीलान्ट का ही हैं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट उक्त भुखण्ड का विधिवत आधिपत्यधारी होकर दुकान का निर्माण करवाया गया। अपीलान्ट वादग्रस्त भुखण्ड का विधिक दस्तावेज से विधिवत आधिपत्य वादी का हैं। अपीलान्ट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हैं। उक्त भुमि तो पूर्व में चारागाह थी नाही आज ही चारागाह हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजो के अवलोकन के एकतरफा आदेश पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिये गये है जो विधि के विपरीत होने से खारीज होने योग्य हैं। जिन्हे निरस्त फरमाया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भुमि राजस्व ग्राम भुवाणा की आराजी संख्या 2983 होकर किस्म चारागाह मगरी हैं। चारागाह भुमि पर किसी प्रकार के कोई पट्टे नहीं दिये जा सकते है। मात्र पशुओ की चराई के लिये ही काम में ली जा सकती हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा इस भुमि को पक्की दुकान बनाकर व्यापारीक उद्धेश्य से काम मे लिया जा रहा हैं। जो गैर कानुनी होकर अवैध हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक होकर न्यायोचित हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर जाहीर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का भुवाणा की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अपीलार्थी को लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 का नोटिस जारी किया जाकर अपीलार्थी द्वारा दिये जवाब को पत्रावली पर लिया जाकर बाद सुनवाई आदेश पारित किया गया हैं। जो आदेश पारित किया गया है वह विधि में प्रदत्त प्रावधानानुसार सही किया गया हैं। यह सही

है कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमीत भुमि किस्म चारागाह की होकर उस पर किसी को भी अतिक्रमण कर किसी प्रकार का अस्थायी या स्थायी निर्माण करने की ईजाजत नहीं हैं। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि यह भुमि विकास पंचायत की होकर इस भुमि का ग्राम पंचायत भूवाणा द्वारा पूर्व हिताधिकारी श्रीमती शीला पत्नि नरेश हरकावत को पट्टा दिया गया था। न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा ऐसे किसी भी पट्टे की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई हैं। नाही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो जिससे यह साबित होता हो कि यह भुमि किस्म चारागाह की नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील प्रथम दृष्ट्या स्वीकार योग्य नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बड़गॉव द्वारा अपने प्रकरण संख्या 09/16 में पारित आदेश दिनांक 21.11.16 में कोई कानुनी त्रुटी कारीत नहीं की गई हैं। पारित आदेश विधि में प्रदत्त नियमो के परिपेक्ष्य में सही हैं। जिसमें कोई हस्तक्षेप करने की गुंजाईश नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी को खारीज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर